न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी—देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

नामा0 अपील सं0 06/2009

सुरेश पुत्र पूरण जाति मीणा निवासी ओसवाल पेट्रोल पम्प के सामने, आदर्श मीणा कॉलोनी, दौसा जिला दौसा राज0 अपीलांट (फोत)
1/1 देवकी मीना पत्नि सुरेश चन्द मीना
1/2 वंशिका मीना पुत्री सुरेश चन्द मीना नाबालिग
1/3 अंकित मीना पुत्र सुरेश चन्द मीना
1/4 मानसी मेवाल पुत्री सुरेश चन्द मीना नाबालिग
समस्त जाति मीना निवासी सैंथल मोड, आदर्श मीना कॉलोनी, दौसा जिला दौसा राज.
..अपीलांट्स

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. मु. शान्ति कथित बेवा पूरण निवासी आदर्श मीना कॉलोनी, दौसा जिला दौसा
2. अनिता कथित नाबालिग पुत्री पूरण
3. धन्नी नाबालिग पुत्री पूरण जरिये माता मु. शान्ति कथित बेवा पूरण
   समस्त जाति मीना निवासी आदर्श मीना कॉलोनी, दौसा
4. सुनीता पुत्री पूरण पत्नि श्रवण कुमार जाति मीना निवासी आदर्श मीना कॉलोनी, दौसा हाल निवासी चक गेटोर खेडा प्रतापनगर सांगानेर, जयपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा
7. तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा
8. नायब तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा

..रेस्पो0

अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 420 दिनांक 25.7.1998 खाता संख्या 565, 275 तहसीलदार (नायब तहसीलदार दौसा)

उपस्थित—1. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से
2. श्री सुनील कुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पों. सं. 4 की ओर से।
3 श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता,

निर्णय

दिनांक: 26.3.2025

1. संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार दौसा ने दिनांक 25.7.1998 को ग्राम दौसा कलां का नामान्तरण सं0 420 दिनांक 25.7.1998 विरासत का तस्दीक कर दिया गया। इसी नामान्तरण आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता अपीलांट व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।
3. सर्वप्रथम दफा 5 कानून मियाद के प्रार्थना बहस अधिवक्तागण की सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स ने दफा 5 के प्रार्थना पत्र में बहस कथन किया कि प्रश्नगत नामान्तरण की कार्यवाही में अपीलांट को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया तथा नामान्तरण की कार्यवाही के समय अपीलांट नाबालिग थी एवं अपीलांट को उक्त नामान्तरण की कोई जानकारी नहीं थी। रेस्पों. सं. 1 ने गुपचुप में षड्यंत्र रचकर अपीलांट को उसके अधिकारों से वंचित करने की गरज से उक्त नामान्तरण खुलवा लिया। रेस्पों. सं0 1 से 3 ने हाल ही में न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा के यहाँ एक वाद शांति बनाम नाथूलाल व प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:21:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसका नोटिस दिनांक 8.6.2009 को प्राप्त होने पर उक्त नामान्तरण की जानकारी हुई। जिस पर नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी दिनांक 12.6.2009 को नकल प्राप्त हुई। अपील जानकारी से अंदर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा कर अपील अंदर मियाद शुमार फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पों. एवं राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अपीलांट अत्यधिक विलंब से पेश की गई है। अपीलांट्स को उक्त नामान्तरण की पूर्व से जानकारी थी। अतः अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता अपीलांट्स एवं राजकीय अधिवक्ता ने मियाद के बिन्दु पर कथन किया कि अपीलांट को विवादित नामान्तरण की शुरू से ही जानकारी थी। अतः अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे। राजकीय अधिवक्ता व अधिवक्ता अपीलांट व रेस्पों. सं0 2 से 4 की दफा 05 के प्रा.पत्र सुनी गई बहस पर मनन किया गया। प्रा0पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की गई है। डिले कन्डोन किया जाकर अपील की सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अतः धारा 5 कानून मियाद स्वीकार किया जाता है।

4. तत्पश्चात मूल अपील पर बहस अधिवक्तागण सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि ग्राम दौसा कला तहसील दौसा में कृषि भूमि खसरा नंबर 372, 858 से 860, 918, 919, 92, 1028 कुल किता 9 रकबा 2.67 है0 भूमि स्थित है। अपीलांट के पिता पूरण उक्त भूमि के 1/4 हिस्से के खातेदार थे इससे पूर्व उक्त भूमि अपीलांट के दादा रामपाल की खातेदारी मे अंकित थी स्व0 रामपाल जी के चारपुत्र हैजिनमेसबसेबड़ेनाथूलाल, उसकेपश्चातजगदीशप्रसाद व तीसरेनम्बर के अपीलांट के पिता पूरण व चौथे नम्बर के पुत्र रामकरण जी है। स्व० रामपाल मीणा जाति के थे एवम मीणा जाति मे हिन्दु उत्तराधिकार अधिकार के प्रावधान लागू नही होते है एवम मीणा जाति पर पुराना हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू होता है एवम मीणा जाति मे जो रीति रिवाज व प्रथा है उसके अनुसार वे कानून के अनुसार किसी मीणा जाति के खातेदार की मृत्यु उपरान्त विरासत में केवल पुरूष उत्तराधिकारियो को ही खातेदारी प्राप्त हुई है एवम महिला उत्तराधिकारी को किसी प्रकार का कृषि भूमि या सम्पत्तियो मे अधिकार नही होते है। स्व० रामपाल की मृत्यु उपरान्त जो नामान्तरण खोला गया है उसमे गलती से रामपाल की पत्नि भूरी देवी के नाम भी नामान्तरण संख्या 326 दिनांक 26–8–96 को खोल दिया गया जो कि कानूनी रूप से गलत है जिसके विरूद्व अपीलांट द्वारा अलग से अपील की जावेगी। उक्त नामान्तरण संख्या 326 में भूरी देवी के अलावा नाथूलाल जगदीश व अपीलांट के पिता पूरण व रामकरण के नाम भी नामान्तरण खोला गया था दिनांक 3–6–96 का अपीलांट के पिता पूरण का देहान्त हो गया एवम पूरण के देहान्त के पश्चात नामान्तरण संख्या 420 दिनांक 25–7–98 को खोला गया है उक्त नामान्तरण संख्या 420 मे अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया। जिस समय नामान्तरण संख्या 420 दिनांक 25–7–98 को खोला गया उस समय अपीलांट नाबालिग था उसकी आयु मात्र 17 वर्ष थी। उक्त नामान्तरण अवैध रूप से रेस्पोडेन्ट शान्ति व धन्नी व अनीता के नाम व अपीलांट के नाम खोला गया है जबकि रेस्पोडेन्ट शान्ति व मु०धन्नी व अनीता का उक्त भूमि से कोई लेना देना नही है। चूँकि पक्षकारान मीणा जाति के है एवम मीणा जाति पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है मृतक पूरण के देहान्त के पश्चात उसकी विरासत का नामान्तरण अपीलांट के नाम ही खोला जाना चाहिए था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (नायब तहसीलदार) ने अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर दिए बगैर ही उक्त नामान्तरण मे शान्ति व धन्नी व अनीता का नाम भी 1/5 के हिस्से मे जोडने एवम नामान्तरण खोलने मे कानूनी गलती की है। अधिनस्थ तहसीलदार या नायब तहसीलदार का नामान्तरण संख्या 420 दिनांक 25–7–98 विधि विरूद्व एवम तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:41:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

प्राकृतिक न्याय का यह सिद्वान्त है कि किसी भी खातेदार की मृत्यु होने पर कोई नामान्तरण खोलना है तो संबंधित पक्षकारो को सुनवाई का नोटिस दिया जावे। उक्त नामान्तरण की कार्यवाही में अपीलांट को सुनवाई का कोई नोटिस नही दिया गया एवम अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए बगैर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 शान्ति धन्नी व अनीता का नाम खोला गया है जो अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर न देकर कानूनी गलती की है। नामान्तरण संख्या 420 मृतक पूरण की विरासत के सबंध मे खोला गया है मृतक पूरण का देहान्त दिनांक 3–6–96 को हुआ था एवम उनकी ब्याहता स्त्री गोविन्दी का भी देहान्त तारीख 18–9–84 को हो गया था अर्थात उनकी ब्याहता पत्नि गोविन्दी का देहान्त उनके जीवनकाल में हो गया था गोविन्दी से मृतक पूरण के एक पुत्री सुनीता व एक पुत्र अपीलांट का जन्म हुआ गोविदी की देहान्त के पश्चात मृतक पूरणजी ने कोई विवाह नही किया है एवम रेस्पोडेन्ट शान्ति उनकी ब्याहता पत्नि नही है एवम वह बिना किसी अधिकार के ही उनके पास आकर रहने लग गई थी । चूँकि पक्षकारान मीणा जाती के है एवम मीणा जाति पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है। यदि रेस्पोडेन्ट संख्या एक किन्ही कारणो से अपने आपको मृतक पूरण की पत्नि होना क्लेम भी करती है तो भी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नही होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या एक का उक्त भूमि से कोई संबंध नही है। चूँकि धन्नी व अनीता भी मु० शान्ति के फुट स्टेप पर अपने आपको मृतक पूरण की पुत्री होना कथित रूप से क्लेम कर रही है तो उनका भी मृतक पूरण की विरासत से का कोई लेना देना नहीं है एवम पुरुष उत्तराधिकारियो के होते हुए कृषि भूमियो व मृतक पूरण की अन्य सम्पत्तियो मे रेस्पोडेन्ट शान्ति, अनीता व धन्नी का कोई लेना देना नही है लेकिन योग्य अधिनस्थ तहसीलदार, नायब तहसीलदार ने इस महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य को नजरअंदाज कर नामान्तरण खोलने मे कानूनी गलती की है। रेस्पोडेन्ट नं० 1 बहुत ही चालक व होशियार किस्म की महिला है उसने अपीलांट की नाबालिगी का नाजायज फायदा उठाकर गुपचुप मे उक्त नामान्तरण खुलवाया है। सर्वप्रथम तो रेस्पोडेन्ट शान्ति व अनीता व धन्नी का उक्त भूमि से या अपीलांट के पिता पूरण की किसी भी सम्पत्ति से कोई लेना देना नही है और यदि किन्ही कारणो से उक्त नामान्तरण कथित रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2,3 के हक मे खोला भी गया है तो उक्त नामान्तरण रेस्पोडेन्ट संख्या 4 जो कि पूरण की पुत्री है उसके नाम क्यो नही खोला गया इसका कोई कारण नामान्तरण की कार्यवाही में अंकित नही किया गया है इसलिए भी उक्त नामान्तरण कानूनन निरस्तनीय है। उक्त कृषि भूमि जिसका विवरण उपर दिया गया है पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा0 3 का कोई कब्जा नही है। मृतक पूरणचन्द का हिस्सा 1/4 है व उस पर कब्जा मात्र अपीलांट का है। नामान्तरण खोलते समय तहसीलदार ने कब्जे संबंधी कोई जांच नही की इसलिए नामान्तरण निरस्तनीय है। दिनांक 25–7–98 को अपीलांट नाबालिग था व उसे किसी भी प्रकार की कोई समझ नही थी रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने योग्य अधिनस्थ तहसीलदार नायबतहसीलदार दौसा के समक्ष झूठा शपथ पत्र देकर उक्त नामान्तरण खुलवाया है एवम नामान्तरण की कार्यवाही में विरासत संबंधी कोई जांच तहसीलदार (नायब तहसीलदार) द्वारा नही की गई थी। यहाँ तक कि जो साथी सह खातेदार नाथूलाल, जगदीश, रामकरण पाचू मृतक [illegible] के भाई थे उनसे भी कोई पूछताछ नहीं की गई है। रा०टि०एक्ट की धारा 40 सीपीसी व हिन्दु [illegible] अधिनियम की धारा 2 (2) के अनुसार पुरूष उत्तराधिकारियो के [illegible] खातेदार की मृत्यु पर मीणा जाति में खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होता है रेस्पोडेन्ट सर्वप्रथम तो स्व०पूरणचन्द की ब्याहता स्त्री नही है एवम तहसीलदार दौसा (नायब तहसीलदार) के समक्ष ऐसी कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नही की गई जिससे यह साबित होता है कि मीणा जाति के खातेदार की मृत्यु पर महिलाओ को खातेदारी अधिकार प्राप्त होते है लेकिन योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र मौखिक कथनो के आधार पर ही नामान्तरण खोलने मे कानूनी गलती की है। अपीलांट

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:21:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मृतक पूरणचन्द का एक पुत्र पुरूष उत्तराधिकारी है एवम नामान्तरण संख्या 420 केवल उसी के नाम खोला जाना चाहिए इस नामान्तरण संख्या 420 में जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा0 3 का नाम योग्य अधिनस्थ न्यायालय मे अंकित किया है यह नाम लोपित किये जाने योग्य है एवम हटाये जाने योग्य है एवम उक्त नामान्तरण दुरूस्त किये जाने नामान्तरण केवल अपीलांट के नाम ही मृतक पूरण के स्थान पर खोले जाने योग्य है। उक्त नामान्तरण की कार्यवाही में अपीलांट को सुनवाई का कोई नोटिस नही दिया एवम नामान्तरण की कार्यवाही के समय अपीलांट नाबालिग था एवम अपीलांट को उक्त नामान्तरण की कभी भी कोई जानकारी नही हो सकी। रेस्पोडेन्ट संख्या एक के गुपचुप मे षडयंत्र रचकर अपीलांट को उसके अधिकारो से वंचित करने की गरज से उक्त नामान्तरण खुलवा लिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार दौसा नायब तहसीलदार दौसा का नामान्तरण सं0 420 दिनांक 25.7.1998 को निररस्त फरमाया जावे एवं मृतक पूरण की विरासत का नामान्तरण केवल अपीलांट के नाम खोले जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. अधिवक्ता रेस्पों. एवं राजकीय अधिवक्ता ने बहस में संयुक्त रूप से कथन किया तहसीलदार दौसा द्वारा खोला गया प्रश्नगत नामान्तरण विधिसम्मत रूप से खोला गया है। पटवारी हल्का द्वारा पूरण पुत्र रामपाल मीना के फोत होने पर पूर्ण जांच की जाकर मृतक के वारिसान शांति बेवा पूरणचंद, सुरेश पुत्र पूरणचंद, धन्नी, अनिता पुत्र पूरणचंद के नाम नामान्तरण भरा गया था जिसको भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त दौसा के द्वारा जांच की गई है। जांच के उपरांत प्रश्नगत नामान्तरण को तहसीलदार दौसा के द्वारा दिनांक 25.7.1998 को तस्दीक किया गया है। अपीलांट ने गलत आधारों पर यह अपील पेश की है। अधिवक्ता रेस्पों0 ने यह भी कथन किया कि मीणा जाति पर भी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू होते है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

6. उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया।

7. पत्रावली का अवलोकन किया गया।

- अपील में प्रार्थी द्वारा मुख्य विवाद इस बिन्दु पर है कि नामान्तरण सं0 420 दिनांक 25.7.1998 को खोला गया था उसमें अपीलांट के साथ–2 रेस्पों0 शांति, धन्नी, अनिता के नाम भी खोल दिया गया जबकि उक्त भूमि में इन तीनों का कोई लेना देना नहीं है।
- सुरेश की मृत्यु उपरांत उसके वारिसान उसकी पत्नि देवकी वर्तमान में अपीलांट के रूप में दर्ज है एवं उनकी 3 नाबालिग पुत्र व पुत्रियां अपीलांट है। देवकी मीणा द्वारा दिनांक 11.2.2025 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष रेस्पों0 के नाम से खोले गये नामान्तरण पर अपनी अनापत्ति प्रकट की है एवं स्वयं का नाम जोडा जाकर नया नामान्तरण खोले जाने का निवेदन किया है।
- चूंकि अब अपीलांट को उक्त नामान्तरण के संबंध में कोई विवाद नहीं है। अतः अपील खारिज की जाती है। जहॉ तक नये नामान्तरण खोले जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में अपना प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। एवं यह बिन्दु अपील के परे है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 420 दिनांक 25.7.1998 को यथावत बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली [illegible] हो। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:21:30 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 26 मार्च, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:21:30 IST
Reason: SelfAttested